आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के
महत्वपूर्ण शासनादेशों का संकलन

(जनवरी 2006 से दिसम्बर 2006)

आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

विषय – सूची

क्र.सं.	विषय	शासनादेश संख्या	दिनांक	पृष्ठ सं.
(1)	**सम्पत्ति प्रबन्धन**			1–
1	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रांतर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि को संबंधित निकाय संस्थाओं को वापस किये जाने विषयक वर्तमान प्रक्रिया को विकेन्द्रित किये जाने के संबंध में।	संख्या : क.नि.–5–72 / ग्यारह–06–500(65) / 1991	16.01.2006	1–3
2	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा सम्पत्तियों की नीलामी।	संख्या : 180 / आठ–1–06–4विविध / 06	23.01.2006	4–5
3	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रांतर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी की धनराशि को संबंधित निकाय संस्थाओं को वापस किये जाने विषयक वर्तमान प्रक्रिया को विकेन्द्रित किये जाने के संबंध में।	संख्या : 767 / आठ–1–06–2स्टाम्प / 06	29.01.2006	6
4	तहसील एवं ब्लाक स्तर के पत्रकारों को सरकारी रियायती दरों पर भवन किश्तों में उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	संख्या – सीएम–273 / आठ–1–06–116डीए / 06	11.05.2006	7
5	इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के ऐसे औद्योगिक भूखण्ड, जिनकी अवधि 10 वर्ष से कम अथवा समाप्त हो गयी है, के फ्री–होल्ड करने हेतु नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में।	संख्या – वीआईपी–78 / आठ–1–06–71एलडीए / 06	07.06.2006	8–9
6	सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में परिषदीय विद्यालयों की स्थापना हेतु आवास विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित होने वाली आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत 500 वर्ग मीटर भूमि बेसिक शिक्षा परिषद् को निःशुल्क आबंटित किये जाने के संबंध में।	संख्या–यू0प्रो023 / 8–1–06	06.07.2006	10–11

7	विकास प्राधिकरण तथा तत्कालीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की किराये पर उठी अमितव्ययी सम्पत्तियों का निस्तारण।	संख्या – 4867/आठ–1–06–72बैठक/98	03.08.2006	12–13
8	नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के संबंध में निर्गत शासनादेशों में संशोधन/सरलीकरण।	संख्या – 1642/आठ–4–06–137एन/2004	04.08.2006	14–15
9	दिनांक 01 अगस्त, 2003 से लेकर दिनांक 29 अगस्त, 2003 तक किये गये सभी स्थानान्तरण /प्रोन्नति/नियुक्ति तथा भूमि/भवनों आदि के आवंटन सम्बन्धी आदेशों को स्थगित रखे जाने विषयक।	संख्या – 1203/आठ–2–2006–3एच.बी. (166)/2003	04.09.2006	16–17
10	उ.प्र. सूचना प्रौद्योगिकी नीति–2004 के प्रस्तर–10.1, प्रस्तर–10.6(III) तथा प्रसतर–10.7(एच) के अनुसार आई.टी. उद्योगों हेतु भूमि आवंटन में वरीयता, सेक्टर मूल्य से कम से कम 25 प्रतिशत कम दर पर भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	संख्या – 7379/आठ –1–06–31विविध/05	20.11.2006	18–19
(2)	**भवन निर्माण एवं विकास उपविधि**			
1	गंगा नदी तट पर बसे नगरों में किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियॉ अनुमन्य न किये जाने विषयक शासनादेशों में न्यायघाट एवं अतिथिगृह के निर्माण हेतु शिथिलीकरण के संबंध में।	संख्या–2380/8–3–2006–11विविध/2006	01.06.2006	20–21
2	प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाए जाने वाले "विश्व आवास दिवस" पर कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में।	संख्या : 3005/आठ–1–06–101विविध/05	05.06.2006	22–23
3	कार्यालय ज्ञाप–भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000–2001 में घोषित एक्जिम नीति के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों/राज्यों में औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन के उद्देश्य से विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) की स्थापना।	संख्या–2281/18–4–2006–2(एसईजेड)/04	04.08.2006	24–34
4.	अधिसूचना – न्यू टाउनशिप (बुलन्दशहर–सिकन्दराबाद–गुलावठी) चौबीसा	संख्या–4822/आठ–1–06–11 एनसीआर–05	15.09.2006	35–38

5.	जनपद–बुलन्दशहर में न्यू टाउनशिप (बुलन्दशहर–सिकन्दराबाद–गुलावठी) की अधिसूचना निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।	संख्या : भास–123 / आठ–1–06–11एनसीआर / 05	27.09.2006	39–44
6.	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा आवास निर्माण न करके भूखण्ड विकास को प्राथमिकता देने तथा भूखण्ड आवंटन से पूर्व सभी आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने, सुविधाजनक दुकानें (कन्वीनियन्ट शापिंग) की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	संख्या– : सी.एम.–249 / आठ–1–06–13बजट / 05टी.सी.	06.10.2006	45–47
7.	नगरों की पुनरीक्षित की जा रही महायोजनाओं में परिवर्तित कर समायोजित / निर्धारित भू–उपयोगों के सम्बंध में भू–उपयोग परिवर्तन की उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 में वर्णित प्रकिया का पालन न करने एवं ऐसे भू–उपयोगों से भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क न लिए जाने के सम्बंध में।	संख्या– 4988 / 8–3–2006–05महा. / 2005	18.10.2006	48–49
8.	उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने हेतु भूमि के मानकों का निर्धारण।	संख्या–743 / मु0मं0 / सत्तर–2–2006–2(166) / 2002	07.11.2006	50–51
9.	भू–जल संरक्षण एवं रिचार्जिंग हेतु वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) प्रणाली को अपनाए जाने के सम्बन्ध में।	संख्याःU035 / आठ–1–2005	25.04.2006	52–56
10.	पर्यावरण के सुधार तथा प्रदेश में "ग्रीन कवर" की वृद्धि हेतु वर्ष 2006–07 में वृक्षारोपण कार्यक्रम के संबंध में।	संख्या–1868 / 8–3–2006–23 विविध / 99 टी.सी.	10.05.2006	57–58
11.	नगरों की महायोजना में सेलुलर मोबाइल फोन के प्रयोजनार्थ आवश्यक निर्माण को अनुमन्य करने के संबंध में निर्गत अधिसूचना दिनांक 14–1–98 व शासनादेश दिनांक 10–12–99 को उ0प्र0 आवास विकास परिषद पर लागू करने के संबंध में।	संख्या–सी.एम.40 / 8 – 3–05–100 विविध / 97	18.05.2006	59–60
12.	पर्यटन उद्योग में पूंजी निवेश को अधिक आकर्षित करने के सम्बन्ध में।	संख्या–984 / 41–06–180 / 2005	22.05.2006	61–64

(3)	**महायोजना /परिक्षेत्रीय योजना**			
1.	परिक्षेत्रीय विकास योजनाएं तैयार किए जाने के सम्बन्ध में।	संख्या–2184/8–3–2006–55विविध/2002	20.02.2006	65–66
2.	मथुरा–वृन्दावन महायोजना भाग–ग (गोर्वधन–राधाकुण्ड) के प्रारूप के संबंध में।	संख्या–163/8–3–200–3महा/02	16.03.2006	67–68
3.	गाजियाबाद महायोजना–2021 के संबंध में।	संख्या–सी.एम.15/8–3–2006–14महा/2006	21.04.2006	69
4.	कार्यालय ज्ञाप–महायोजनाओं के परीक्षण हेते गठित समिति।	संख्या–2509/8–3–06	02.06.2006	70–72
5.	राबर्ट्सगंज महायोजना–2021 की स्वीकृति के संबंध में।	संख्या–1356/8–3–2006–2 महा/2006	13.06.2006	73
6.	धामपुर महायोजना–2021 की स्वीकृति के संबंध में।	संख्या–1894/8–3–2006–9 महा/2004	13.06.2006	74
7.	कुशीनगर विशेष क्षेत्र महायोजना के अनुमोदन के संबंध में।	संख्या–5046/8–3–2005–1 महा/2004	22.06.2006	75
8.	महायोजना क्रियान्वयन हेतु जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स तैयार किये जाने के संबंध में।	संख्या–4074/आठ–3–2006–55 विविध/2002(आ.ब.)(टी.सी.)	17.08.2006	76–77
10.	कार्यालय ज्ञाप–महायोजनाओं के परीक्षण हेते गठित समिति।	संख्या–5102/8–3–05	17.10.2006	78
11	गोबर्धन–राधा कुण्ड महायोजना (प्रारूप)–2021 भाग–ग पर जन सामान्य से प्राप्त आपत्ति/ सुझावों पर सुनवाई के सम्बन्ध में।	संख्या–5784/8–3–06–01महा/2005	08.11.2006	79–80
(4)	**निजी पूँजी निवेश–इण्टीग्रेटेड एवं हाई–टेक टाउनशिप्स**			
1	कार्यालय–ज्ञाप–इण्टीग्रेटेड टाउनशिप्स नीति के अधीन निजी विकासकर्ताओं के पंजीयन हेतु समिति का गठन।	संख्या–5873/आठ–1–05–34विविध/03टीसी–1	12.01.2006	81
2	कार्यालय–ज्ञाप– हाईटेक टाउनशिप्स के विकास हेतु विकासकर्ता कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. के अनुमोदन हेतु समिति का गठन।	संख्या–2258/आठ–1–06–53विविध/03	27.04.2006	82–83
3	प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिये भूमि अर्जन एवं विकास की नीति में स्पष्टीकरण/संशोधन के संबंध में।	संख्या–2236/आठ–1–06–45विविध/06	28.04.2006	84–94
4	प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिये भूमि अर्जन एवं विकास की नीति (इण्टीग्रेटेड टाउनशिप) के क्रियान्वयन की स्थिति।	संख्या–2564/आठ–1–06–58विविध/06	04.05.2006	95–97

5	उत्तर प्रदेश में हाई–टेक टाउनशिप विकसित करने के लिए निजी पूँजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु ''हाई–टेक टाउनशिप नीति–2006''।	संख्या–2915/आठ–1–06–45विविध/06टीसी	18.05.2006	98–108
6	कार्यालय ज्ञाप–हाई–टेक टाउनशिप्स नीति के अन्तर्गत विकासकर्ता कम्पनियों के चयन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति।	संख्या–2916/आठ–1–06–45विविध/06टीसी	18.05.2006	109–110
7	कार्यालय ज्ञाप– हाई–टेक टाउनशिप्स नीति के अन्तर्गत विकासकर्ता कम्पनियों के प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु गठित समिति।	संख्या–2917/आठ–1–06–45विविध/06टीसी	18.05.2006	111–112
8	हाई–टेक टाउनशिप तथा निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं (इन्टीग्रेटेड आवासीय नीति) के विकास हेतु भूमि अर्जन/लैण्ड असेम्बली की प्रकिया के निर्धारण के सम्बन्ध में कतिपय संशोधन।	संख्या–2044/8–3–2006–48विविध/2005	26.05.2006	113–114
9	25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के संबंध में।	संख्या–4165/आठ–1–05–29विविध/98	07.07.2006	115–116
10	उत्तर प्रदेश में हाई–टेक टाउनशिप विकसित करने के लिए निजी पूँजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु ''हाई–टेक–टाउनशिप नीति–2006'' से संबंधित एम. ओ.यू. पूरक एम.ओ.यू. तथा डेवलपमेंट एग्रीमेंट उपलब्ध कराने के संबंध में।	संख्या–4033/आठ–1–06–45विविध/06टीसी	13.07.2006	117–134
11	हाई–टेक टाउनशिप नीति–2006 के अर्न्तत अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–154(2) के अन्तर्गत छूट का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूपों 1 एवं 2 पर उपलब्ध कराने के संबंध में।	संख्या–2914/8–3–08–149एलए/06	19.07.2006	135–137
12	उत्तर प्रदेश में हाई–टेक टाउनशिप का विकास करने के लिए निजी पूँजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु विकासकर्ता कम्पनी/कन्सार्शियम का चयन।	संख्या–यू0ओ0–129/आठ–1–06	14.08.2006	138–139
13	25 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की योजनाओं पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के संबंध में।	संख्या–6113/आठ–1–06–26जीडीए/04	18.08.2006	140–141
14	कार्यालय–ज्ञाप–इण्टीग्रेटेड टाउनशिप्स के नीति के अंतर्गत विकासकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले डी.पी.आर. के अनुमोदन हेतु समिति का गठन।	संख्या–6168–8–1–206–53विविध/–06	22.08.2006	142

15	हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में उ.प्र. जमींदारी विकाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950 की धारा–154(2) के अन्तर्गत छूट के सम्बन्ध में।	संख्या–3814(1)/3–3–2006–149एल.ए./06	15.09.2006	143–144
16	प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के काध्यम से आवासीय योजनओं हेतु भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इण्टीग्रेटेड आवासीय नीति) के अंतर्गत विकासकर्ताओं द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–154 के प्राविधानों के अधीन अधिकारों का प्रतिनिधायन।	संख्या–6710/आठ–1–06–77विविध/06	10.10.2006	145–147
17	उत्तर प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अर्जन/लैण्ड असेम्बली एवं विकास नीति (इन्टीग्रेटेड टाउनशिप) के क्रियान्वयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया में आंशिक संशोधन करने के संबंध में।	संख्या–6801/आठ–1–06–34विविध/03टीसी	12.10.2006	148–150
18	हाई–टेक टाउनशिप नीति–2006 के अधीन आवेदन पत्रों के प्रस्तुतीकरण एवं मूल्यॉकल हेतु ''डाक्युमेंट फॉर सब्मिशन आफ अल्पीकेशन्स/प्रपोजल'' का प्रेषण।	संख्या–7454/आठ–1–06–45विविध/06टीसी	16.11.2006	151–175
19	प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं हेतु भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इण्टीग्रेटेड आवासीय नीति) के अन्तर्गत विकासकर्ताओं द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–154 के प्राविधानों के अधीन अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।	संख्या–5637/8–3–2006–52विविध/2006	22.11.2006	176–178
20	उत्तर प्रदेश में हाई–टेक टाउनशिप के विकास हेतु निजी पूँजी निवेश के प्रोत्साहन के लिए हाई–टेक टाउनशिप नीति–2003 के अंतर्गत मै0 उत्तम स्टील्स एण्ड एसोसिएट्स (कन्सार्शियम) का चयन।	संख्या–6913/आठ–1–06–51रिट/06	28.11.2006	178–181